

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2-05/2022-

पटना, दिनांक-

डा० रीना कुमारी, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी के द्वारा विभिन्न अवधियों में उपभोगित अवकाश को वित्त विभागीय पत्रांक-1251(25), दिनांक-29.06.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 236 के तहत निम्नरूपेण अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(क) दिनांक-01.09.2003 से 31.10.2003 तक कुल-61 दिन।

(i) दिनांक-01.09.2003 से 15.09.2003 तक (कुल-15 दिन)- उपार्जित अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक-16.09.2003 से 31.10.2003 तक (कुल-46 दिन)- असाधारण अवकाश के रूप में।

(ख) दिनांक-05.12.2003 से 15.02.2004 तक कुल-73 दिन।

(i) दिनांक-05.12.2003 से 06.12.2003 तक (कुल-02 दिन)- उपार्जित अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक-07.12.2003 से 15.02.2004 तक (कुल-71 दिन)- असाधारण अवकाश के रूप में।

(ग) दिनांक-05.11.2005 से 20.11.2005 तक (कुल-16 दिन)- उपार्जित अवकाश के रूप में।

2 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापाक :-17/एल2-05/2022-

993(17)

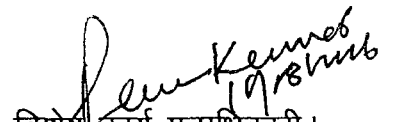
पटना, दिनांक :- 10.08.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० रीना कुमारी, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।